सन्तराम वत्स्य

मेरा देश है यह

दिल्ली प्रशासन द्वारा पुरस्कृत

सन्तराम वत्स्य

मूल्य : पाँच रुपये / संस्करण, १९८६ / आवरण : प्रशान्त सेन /
प्रकाशक : पराग प्रकाशन, ३/११४, कर्ण गली, विश्वासनगर,
शाहदरा, दिल्ली-३२ / मुद्रक : सीमा प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली-३२

मेरा देश है यह

मैं सदेह भारत हूं।
सारा भारत मेरा शरीर है।
रासकुमारी मेरा पैर और हिमालय मेरा सिर है।
मेरे बालों से गंगा बह रही है।
विन्ध्याचल मेरा कमरबन्द है।
मैं सम्पूर्ण भारत हूं।
पूर्व और पश्चिम मेरी दो भुजाएं हैं,
जिनको फैलाकर मैं अपने देशवासियों को गले लगाता हूं।
हिन्दुस्तान मेरे शरीर का ढांचा है
और मेरी आत्मा सारे भारत की आत्मा है।
चलता हूं तो अनुभव करता हूं
कि तमाम हिन्दुस्तान चल रहा है।
जब मैं बोलता हूं तो तमाम हिन्दुस्तान बोलता है।

—स्वामी रामतीर्थ

मेरे देश का नाम भारत है। पहले इसका नाम आर्यावर्त था। यह नाम मेरे देश के एक महाराजा भरत के नाम पर पड़ा है। भरत बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने इस महा-देश को प्रेम की डोरी में बांधकर एक बना दिया। सच तो यह है कि इन महाराजा का बचपन का नाम सर्वदमन था। किन्तु बाद में अपनी प्रजा का सन्तान की तरह भरण-पोषण करने के कारण

उनका नाम भरत पड़ गया और उन्हीं के नाम पर मेरे देश का नाम भारत पड़ा। सबसे पहले उन्हीं ने हममें यह भावना पैदा की कि हम सब एक ही देश के वासी हैं।

सीमाएं

मेरे देश की हदबन्दी बड़ी सुन्दर है। इसकी उत्तरी

हद पर पच्छिम से पूर्व तक दो हज़ार मील लम्बा हिमालय पर्वत है। संसार भर के सभी पर्वतों से बड़ा, लम्बा और ऊंचा। इसके उत्तर-पच्छिम और उत्तर-पूर्व दूसरे कई पर्वत इसके साथ मिलते गए हैं और सबने मिलकर मेरे देश के लिए एक मज़बूत परकोटा बना दिया है। पूर्व, दक्खिन और पच्छिम की बाकी सीमा समुद्र से बनी है। इस तरह एक मज़बूत चौहद्दी बन गई है।

अब ज़रा भारत माता का रूप देखिए—बड़ा ऊंचा हिमालय इसका माथा है। बर्फ़ से ढकी, चांदी-सी चमकती पर्वत चोटियां इसके सिर का मुकुट हैं। हरे-भरे लहलहाते मैदान इसका धानी आंचल है। सागर इसके पांव पखारता है। बड़ी महिमा है मेरी भारत माता की! हां, यह मेरी माता है। मेरा शरीर इसी की मिट्टी से बना है। इसी के दिए अन्न-जल से मैं पला हूं। मैं इसी का बनाया हूं। मुझ में जो कुछ है, वह इसी का दिया हुआ है। क्या मेरा तन और क्या मन, सब भारत माता के ही बनाए हुए हैं।

मेरा देश निराला है

बड़ा विशाल—लम्बा-चौड़ा है मेरा यह देश। दुनिया भर के देशों से निराला। सचमुच यह निराला ही है। ज़रा इसके निरालेपन को तो देखिए। कहीं तो हज़ारों फुट ऊंची,

सदा बर्फ़ से ढंकी पहाड़ों की चोटियां हैं और कहीं मैदान। कहीं हरे-भरे लहलहाते सदा-बहार बाग-बगीचे हैं और कहीं रेगिस्तान—बंजर मरु-भूमि। कहीं साल भर में २५० सेंटीमीटर पानी बरसता है तो कहीं १५ सेंटीमीटर भी नहीं। कहीं गर्मी, बरसात और सर्दी—तीन मौसम होते हैं तो कहीं सारा साल लगभग एक-जैसा मौसम रहता है। कहीं बारहों महीने ठंड रहती है तो कहीं छह महीने। जिन दिनों शिमला की पहाड़ियों पर खूब ठंड होती है, उन्हीं दिनों पचास-साठ मील दक्षिण, अम्बाला के मैदानी इलाके में लू के तेज़ झोंके चल रहे होते हैं। कहीं बारहों मास

चावल खाया जाता है तो कहीं साल भर गेहूं ही खाया जाता है।

यही हाल पहनावे का भी है। कहीं के लोग धोती पहनते हैं, कहीं के पाज़ामा और कहीं के लुंगी। स्त्रियां अधिकतर धोती पहनती हैं। पर सबका धोती पहनने का तरीका अपना-अपना है। पंजाब में सलवार पहनने का रिवाज़ है। कोई सिर पर पगड़ी बांधता है, कोई टोपी पहनता है और कोई नंगे सिर रहता है।

अब ज़रा मेरे देश की बोलियों का हाल सुनिए। वैसे तो कहावत है—

'कोस-कोस पर बदले पानी,
चार कोस पर बानी'

पर मुख्य भाषाएं भी कुछ कम नही हैं। अकेले उत्तर भारत में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं—कश्मीर में कश्मीरी, जम्मू में डोगरी, पंजाब में पंजाबी, असम में असमी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली में हिन्दी बोली जाती है। बंगाल की भाषा बंगला है। दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम पूरी चार भाषाएं बोली जाती हैं।

तो यों समझिए कि मेरे देश का जलवायु तरह-तरह का, खान-पान तरह-तरह का, रहन-सहन तरह-तरह का और जबान तरह-तरह की। है न यह निराला देश !

झगड़े की जड़

पर आज तक भाषा के भेद को लेकर मेरे देश के भाई आपस में झगड़ते रहे हैं। एक प्रदेश की हद पर के कुछ गांव किसी दूसरे प्रदेश की हद में मिलाने की बात आती है तो आपस में झगड़ा होता है। बिहार का कुछ इलाका बंगाल में मिला दिया जाए तो बिहार वाले लाल-पीले होते हैं, और अगर बंगाल का कुछ इलाका बिहार में मिलाया जाए तो बंगालियों का खून खौलने लगता है। कोई एक भाषा बोलने वालों के लिए अलग प्रदेश की मांग करता है,

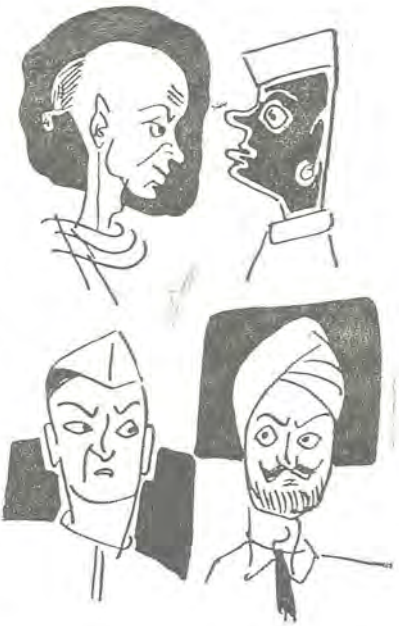

कोई प्रदेश की भाषा को साम्प्रदायिक रूप देता है तो कोई सम्प्रदाय अपनी अलग भाषा मनवाना चाहता है।

पर मजेदार बात यह है कि यह सब झगड़े देश की साधारण जनता नहीं करती। तो फिर कौन करता है? कुछ नेता लोग—अपने को समझदार और होशियार कहने वाले। एक कहानी याद आ गई :

एक गुरु के दो चेले थे। अभी नये-नये ही भर्ती हुए थे। गुरुजी की सेवा-टहल की बात पर आपस में झगड़ पड़ते थे। सो गुरुजी ने इस झगड़े को मिटाने का एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने शरीर के दाहिने भाग की सेवा का काम एक को सौंपा और बाएं भाग की सेवा का काम दूसरे को।

गुरुजी ने समझा, अब चेले आपस में नहीं लड़ेंगे। झगड़े की जड़ खतम हो गई।

एक दिन गुरुजी बिस्तर पर लेटे आराम कर रहे थे। उन्होंने अपनी बायीं टांग पर दायीं टांग रखी हुई थी। दोनों चेले भी पास ही चटाई पर बैठे पाठ याद कर रहे थे। जिस चेले के हिस्से में बायीं टांग थी, उसने दायीं टांग वाले से कहा कि देखो, तुम्हारे हिस्से वाली टांग मेरे हिस्से वाली टांग पर सवार है। इसे जल्दी उतारो।

दूसरे ने जवाब दिया—वाह! भला यह भी कोई बात हुई। गुरुजी की जैसी इच्छा होगी, वैसा ही वह करेंगे, तुम कौन हो रोकने वाले! वह जैसे चाहें सोएं। पहले को यह सुनकर गुस्सा आ गया। गुरुजी ने चेलों को पीटने के लिए जो डंडा रख छोड़ा था, उसने वही उठाकर बायीं टांग पर रखी दायीं टांग पर दे मारा। इस बात पर दूसरे को क्रोध आया। उसने भी पूरा-पूरा बदला लेने की ठानी और बायीं टांग पर जोर से डंडा मारा। फिर तो एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर डंडे दाएं-बाएं भाग पर मारने लगे।

इस बीच गुरु महाराज बहुतेरे कराहते और चिल्लाते रहे, पर किसे फुर्सत थी उनकी बात सुनने की!

इन दोनों चेलों के कारण, जिनकी सुविधा के लिए गुरुजी ने अपने शरीर को दो भागों में बांट रखा था, गुरु-जी को अपनी टांगों से हाथ धोना पड़ा। बेचारे सदा के लिए लंगड़े हो गए।

क्या सोच रहे हैं आप ? क्या उन चेलों की मूर्खता पर आपको हंसी आ रही है ? सचमुच मुझे भी आ रही है। यह छोटी-सी बात उनकी मोटी समझ में क्यों नहीं आयी कि भले ही टांगें दो सही और दायीं इसकी और बायीं उसकी सही। पर यह बंटवारा तो सिर्फ सेवा करने भर के लिए किया गया था, टांग तुड़वाने के लिए तो नहीं। यह मोटी-सी बात उनकी खोटी बुद्धि में क्यों नहीं आयी ? पर छोड़िए उन चेलों को। बेचारे अभी बच्चे ही तो थे नासमझ बच्चे ! और फिर यह भी कौन जाने कि बात सच्ची है या यों ही मनगढ़ंत कहानी है। पर आज जो लोग भाषा-भेद, प्रदेश-भेद और जाति-भेद को लेकर झगड़ रहे हैं, वे तो बच्चे नहीं हैं। उन्हें अपने समझदार होने का गर्व है। और फिर यह कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है। अब आप इन झगड़ने वालों पर हंसेंगे या रोएंगे ? वे देश की उन्नति की राह के रोड़े बने हुए हैं। वे भूल गए हैं कि देश का प्रदेशों में जो बंटवारा हुआ है, वह शासन चलाने की सुविधा के लिए है। अपने-अपने प्रदेश की सेवा लोग अच्छी तरह कर सकें, इसके लिए है। पर आज यह छोटी-सी बात मोटी और खोटी बुद्धि वालों की समझ में नहीं आ रही है। या फिर वे सब कुछ समझते-बूझते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को बहका रहे हैं। देश के लिए खतरा पैदा कर

रहे हैं।

वह हर काम जो मेरे देश की एकता को कमजोर करता है, भारी पाप है, देश-द्रोह है। हम अपनी पुरानी भूलों से पाठ सीख चुके हैं। अब फिर वैसी भूलें नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब कभी देश का कोई भाग, कोई प्रदेश कमजोर हुआ है, तभी देश को खतरा पैदा हुआ है। जब-जब लोगों ने अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना राग अलापना शुरू किया, तब-तब देश के दुश्मनों को सिर उठाने का मौका मिला।

यह भाषा का भेद, खान-पान का भेद, पहनावे और प्रदेश का भेद, मौसमों और पहाड़-मैदानों का भेद झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। हम इसे झगड़े का कारण नहीं बनने देंगे।

जरा विचार कीजिए—आप एक बाग में घूमने जाते हैं। वहां रंग-बिरंगे फूल खिले हैं—पीले, नीले, लाल, गुलाबी, सफेद और बैंजनी रंग के। और भी कई रंगों के। क्या इससे बाग की शोभा घटती है? नहीं घटती। मुझे तो और भी अच्छा लगता है। सोचिए—एक ही तरह के फूल होते, एक ही रंग के और एक ही गंध के—तो कैसा लगता? मैं कहूंगा, उतना अच्छा नहीं। रंग-बिरंगे और तरह-तरह की सुगन्ध वाले फूलों से ही बाग की शोभा है।

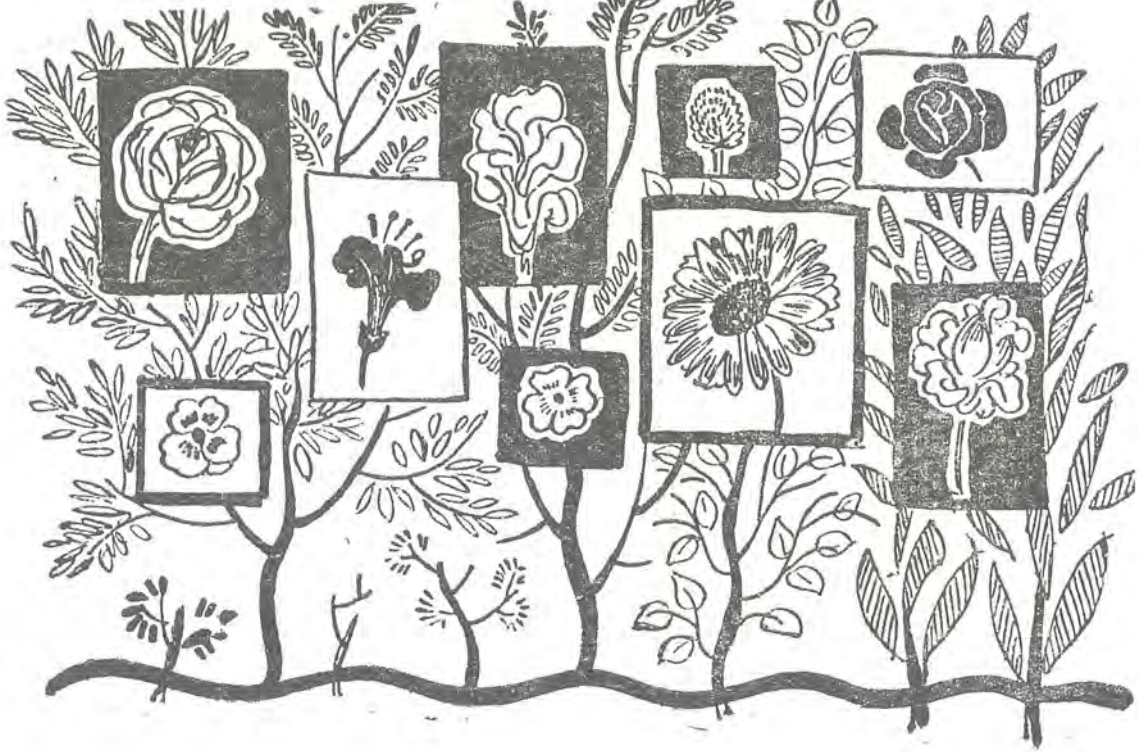

एक ही क्यारी में चार तरह के फूल हों, तो भी किसी की बढ़ोत्तरी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। आती भी नहीं।

बाग के पेड़-पौधों पर तरह-तरह के पंछी बैठे हैं—गौरैया, तोते, मैना, कोयल, बुलबुल। सबकी अपनी-अपनी बोली है, अपना-अपना स्वर है। पर क्या सुनने वाले को बुरा लगता है? नहीं, मुझे तो भला मालूम होता है। आप भी यही कहेंगे। जरूर यही कहेंगे।

तोता फल खाता है, गौरैया और मैना दाना-दुनका चुगती हैं, कीड़ों-मकोड़ों को भी खा जाती हैं, बगुला मछली पसन्द

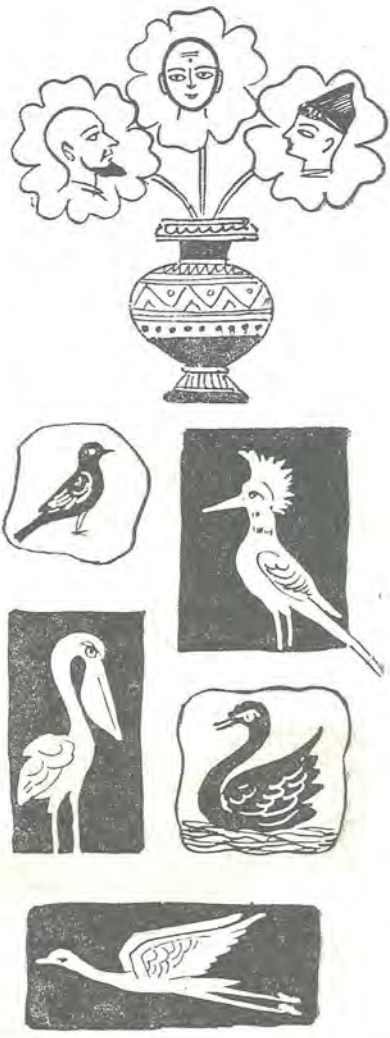

करता है। अपनी-अपनी पसन्द है। अपनी-अपनी रुचि है। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इसमें भी लड़ने-झगड़ने की कोई बात दिखाई नहीं देती।

यह मेरा देश एक बड़ा बाग है। कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, मद्रासी आदि इसमें खिलने वाले अलग-अलग रंग और सुगन्ध वाले फूल हैं। ये फूल मेरे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। तरह-तरह की बोलियां और भाषाएं बाग के पंछियों का अलग-अलग चहचहाना है। मुझे यह बहुत मनभावना लगता है। इसी तरह खान-पान का भेद भी बड़ी लाभ की चीज़ है। जिस प्रदेश में जैसी उपज होती है, वहां के लोगों का भोजन भी वैसा ही होता है।

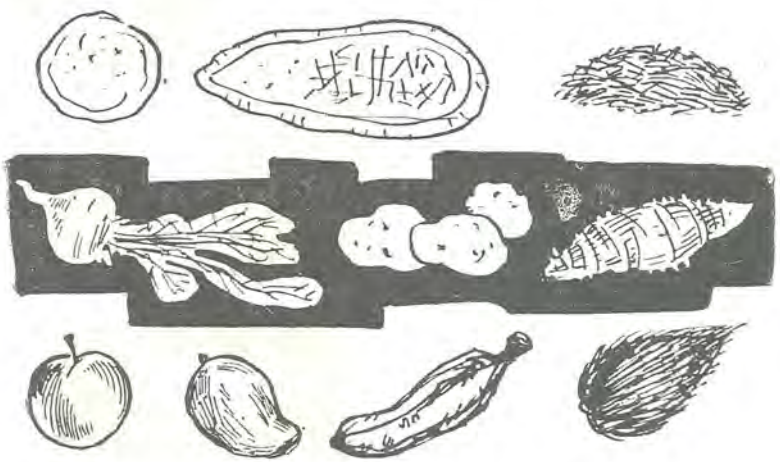

एकता के लिए जरुरी बातें

एकता के लिए जो-जो बातें जरूरी समझी जाती हैं, उन पर भी विचार कर लें।

नस्ल, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति, एक-सी संस्कृति और परम्परा—ये बातें राष्ट्र की एकता के लिए जरूरी समझी जाती हैं। अब इन पर अलग-अलग विचार करेंगे।

नस्ल

नस्ल को लेकर हमारे यहां कभी झगड़ा नहीं हुआ। यह हमारी नस्ल का है और यह दूसरी नस्ल का, यह विचार यहां के लोगों के मन में कभी नहीं आया। हमारे यहां के लोगों का सबसे अधिक ध्यान संस्कृति की एकता पर रहा है। और यही ठीक भी था। जिस किसी ने भी भारत को अपना देश मान लिया और भारतीय संस्कृति को

अपना लिया, वही भारतीय बन गया। नस्ल के विचार से यहां आर्य, द्रविड़, मंगोल, शक, हूण और तुर्क, कई रक्त आपस में मिले हैं। पर आज उन्हें यहां अलग-अलग नहीं पहचाना जा सकता। अलग से कोई बचा भी नहीं है। मेरा देश अनेक नस्लों और जातियों के मिलने का स्थान है।

धर्म

मनुष्यों को एक-दूसरे के पास लाने के लिए धर्म की एकता बड़ी मजबूत कड़ी है। यह तो सभी जानते हैं कि सभी धर्मों की मूल बातें एक-सी हैं और अच्छी हैं। हां, बाहरी रूप में जरूर कुछ अन्तर है। हिन्दू, ईसाई और मुस्लिम धर्म में सदाचार के नियम एक-से हैं। सभी यह मानते हैं कि आदमी सच्चा बने, ऐसे काम न करे जिनसे किसी की हानि हो, दीन-दुखियों की सहायता करे, नशीली चीज़ों से दूर रहे। भेद केवल पूजा-पाठ के तरीकों में है। जिनके विश्वास, पूजा-पाठ के तौर-तरीके और रीति-रिवाज एक-से हो, उनमें ज्यादा एकता हो सकती है। पर आजकल धर्म का भेद राष्ट्र की एकता में बाधक नहीं है। सभ्य और उन्नत राष्ट्रों में तो यह भेद प्रायः समाप्त हो गया है।

हम अपने पड़ोसी देशों की ओर नजर उठाकर देखें तो पता लगेगा कि चीन में बौद्ध भी हैं और मुस्लिम भी।

पर दोनों में नस्ल, भाषा और परम्परा की एकता के कारण कोई भेद-भाव नहीं है। सभी चीनी हैं और अपने देश को प्यार करते हैं।

दूसरा पड़ोसी देश रूस है। रूस में भी मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और नास्तिक—सभी तरह के लोग हैं। अनेक भाषाएं उस देश में बोली जाती हैं, जलवायु भी एक-सा नहीं है। पर ये भेद उनकी राष्ट्रीय एकता को कमजोर नहीं बनाते।

ज्ञान-विज्ञान और कला की उन्नति के साथ मनुष्य के दिमाग में जो विकास हुआ है, उससे सभी यह समझने लगे हैं कि सभी धर्म अच्छे और मूल रूप में मिलते-जुलते हैं। फिर धर्म को लेकर झगड़ा क्यों खड़ा किया जाए ?

"मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना
हिन्दी हैं, हम-वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा।"

भाषा

राष्ट्रीय एकता में भाषा बड़ी महत्त्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि

भाषा ही एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा आपस में विचारों की अदला-बदली हो सकती है। जिस प्रकार पहाड़, नदियां और समुद्र लोगों के आपस में मिलने-जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही एक-दूसरे की भाषा को न जानने से भी मेल-जोल में रुकावट पड़ती है। और भाषा की एकता एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक-दूसरे के पास आ जाते हैं।

मेरे देश में चौदह मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। एक प्रदेश की भाषा दूसरे प्रदेश में प्रायः नहीं समझी जाती। पर जब से भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी मान ली गई है, तब से यह भेद बहुत कम रह गया है। हिन्दी देश के बहुत बड़े भाग की भाषा तो है ही, साथ ही प्रायः सारे भारत में वह समझी जाती है। अब सारे भारत में हिन्दी लिखने-पढ़ने की व्यवस्था हो गई है।

पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय एकता रूपी जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी भाषा ही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र, पंजाब आदि प्रदेशों के निवासियों में जो प्रादेशिक भावना कभी-कभी प्रबल हो उठती है, उसका कारण भाषा-भेद ही है। इसलिए एक राष्ट्रभाषा के विकास की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। सब को एक प्रेम की डोरी में बांधने वाली भाषा है—हिन्दी। दूसरी सबसे महत्त्व की बात यह है कि भारत में

चाहे कितनी ही भाषाएं क्यों न बोली जाती हों, पर सबका मूल एक ही है, प्रेरणा का स्रोत एक ही है। और वह है संस्कृत। रामायण, महाभारत, वेद-पुराण, उपनिषद् और समूचा संस्कृत साहित्य भारतीय भाषाओं का प्रेरणा-स्रोत है। सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्दों की भरमार है। और सभी भाषाओं की वर्णमाला एक-जैसी है—उर्दू को छोड़कर।

भौगोलिक स्थिति

पहाड़ और समुद्र ही देशों की सीमा का साफ-साफ विभाजन करते हैं। इस दृष्टि से मेरा देश प्राकृत सीमाओं वाला है। कालिदास के शब्दों में इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय और शेष तीन ओर अथाह समुद्र है।

संस्कृति

जिन लोगों की संस्कृति, रीति-रिवाज और ऐतिहासिक परम्परा एक होती है, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत बनती है। ज्यों-ज्यों मनुष्य सभ्यता की ओर कदम बढ़ाता है, त्यों-त्यों वह अपनी भूख-प्यास और रहन-सहन की आवश्यकताओं के अतिरिक्त मन और आत्मा की भूख को भी पूरा करना चाहता है। मन और आत्मा की भूख

काव्य, कला, संगीत आदि द्वारा मिटती है। और इन सब से मिलकर जो विकास होता है, उसे संस्कृति कहते हैं। मोटे रूप में यों समझिए कि सभ्यता को अगर शरीर की उपमा दें तो संस्कृति की उपमा आत्मा से दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में शरीर के लिए जो काम किए जाते हैं, वे सभ्यता में आते हैं और आत्मा के लिए किए गए काम संस्कृति कहलाते हैं।

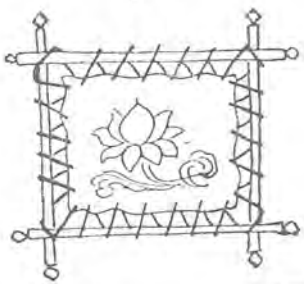

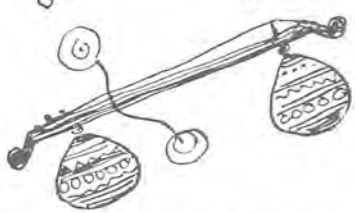

एक समान संस्कृति वाले लोग आपस में मिलने से अथवा साथ-साथ रहने से एक विशेष प्रकार का आनन्द अनुभव करते हैं। इसलिए उनमें जो एकता पैदा होती है, वह राष्ट्रीय एकता में सबसे अधिक सहायक होती है। इसी प्रकार जो लोग सदियों से एक साथ रहते चले आते हैं, उनका इतिहास और परम्पराएं एक-जैसी होती हैं। अंग्रेज़ों के शासन के विरोध में स्वतंत्रता

आन्दोलन में एक साथ मिलकर काम करने से विभिन्न प्रदेशों में रहने वालों और विभिन्न भाषाएं बोलने वालों में एकता की भावना दृढ़ हुई है। आज अनेकताओं के होते हुए भी सब भारतीय जो एक राष्ट्र के रूप में संगठित हैं, उनमें जहां संस्कृति की एकता एक बड़ा कारण है, वहां इतिहास और परम्परा की एकता का भी बड़ा हाथ रहा है।

स्वराज्य के लिए अपने को स्वाहा करने वालों के प्रति सारा भारत एक-समान आदर रखता है। अंग्रेज़ी शासन से पहले राजपूतों, मराठों और सिखों ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए जो संघर्ष किया, उसे सारे भारतवासी समान अभिमान के साथ याद करते हैं। छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप, महारानी पद्मिनी और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति सारे भारतीय श्रद्धा से शीश झुकाते

हैं। और भी पहले, जिन धर्म-गुरुओं, भिक्षुओं और सन्त-महात्माओं ने भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति का दूर-दूर जाकर विदेशों में प्रचार और प्रसार किया, उनके प्रति भी सभी के मन में सम्मान और आदर का भाव है। इतिहास और परम्परा की यह एकता भारत में राष्ट्रीयता के विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुई है।

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सबको पचा जाने की शक्ति है। इस देश में आने वाली अनेक जातियां हिन्दू समाज में खप गईं। आज उनका नाम-निशान तक नहीं मिलता। हिन्दू धर्म के भीतर से ही एक बार एक प्रचंड विद्रोह उठ खड़ा हुआ। यह विद्रोह था बौद्ध धर्म। किन्तु धीरे-धीरे वह विद्रोह भी उसी में समा गया। हिन्दू

संस्कृति ने अनेक को पचाकर अपनी शक्ति बढ़ाई है। मुसलमान यद्यपि धर्म की दृष्टि से अलग हैं, पर संस्कृति की कसौटी पर कसें तो वे भी अब भारतीय ही हैं। एक विदेशी विद्वान् ने लिखा है—"भारतीय संस्कृति एक बड़े समुद्र की तरह है, जिसमें अनेक नदियां आ-आकर विलीन होती रही हैं।" एक दूसरे विद्वान् का कहना है—"मानव जाति को भारतवासियों ने जो सबसे बड़ी चीज़ वरदान के रूप में दी है, वह यह है कि भारतवासी हमेशा ही अनेक जातियों के लोगों और अनेक प्रकार के विचारों के बीच ताल-मेल कायम रखने को तैयार रहे हैं। और सभी प्रकार की विविधताओं के बीच एकता कायम करने की उनकी योग्यता लाजवाब रही है।"

यह पचाने की शक्ति, विभिन्न जातियों को एक जाति के सांचे में ढालने का यह प्रयत्न और अनेक धर्मों, सम्प्रदायों और विचारों के बीच एकता लाने का यह निराला ढंग सभी युगों में भारतीय समाज की विशेषता रहा है।

आज भारत में एक वर्णमाला और एक-सा वाङ्मय है। वैदिक और संस्कृत साहित्य का प्रभाव तो सारी भारतीय भाषाओं के साहित्य पर है ही, पर मध्यकालीन सन्तों और विचारकों के विचार भी सारे भारत को समान रूप से प्रभावित किए हुए हैं। इस देश की एकता का सबसे

दृढ़ और महत्त्वपूर्ण सूत्र है संस्कृति की एकता। न केवल इस देश के हिन्दू अपितु मुसलमान, पारसी और ईसाई भी एक ही संस्कृति के रंग में रंगे हुए हैं। भारत के बहुसंख्यक मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू ही तो थे। केवल धर्म-परिवर्तन से उनके पुराने संस्कारों और परम्पराओं में परिवर्तन नहीं आ गया! इसी प्रकार आन्ध्र, तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात आदि प्रदेशों में जो भिन्न भाषा बोलने वाले हैं, वे सब एक ही भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं। राम और कृष्ण के आदर्श, अर्जुन और भीम की वीर-गाथाएं, नानक और तुलसी के उपदेश उन्हें समान रूप से प्रभावित करते हैं। संस्कृति की यह एकता ऐसी ज़ोरदार एकता है कि इसके सामने शेष विभिन्नताएं अधिक महत्त्व नहीं रखतीं।

जो लोग यह कहते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे देश में एक राष्ट्र की भावना का अभाव था, वे भूलते हैं। राष्ट्रीय एकता का आधार केवल राजनीतिक एकता को मानना भूल है। धर्म और भाषा की एकता पर ज़ोर देना और मात्र उन्हीं को राष्ट्र की एकता का आधार मानना संगत मालूम नहीं देता। सच तो यह है कि इनमें से कोई भी बात अनिवार्य नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि धर्म, भाषा, नस्ल और भौगोलिक स्थिति—इन चारों में से

किसी एक के या चारों के न होने से राष्ट्र की एकता नहीं हो सकती । हां, ये सब राष्ट्रीय एकता की भावना में सहायक ज़रूर हैं ।

हमारे देश के पिछले हजारों वर्षों के इतिहास में भरत, युधिष्ठिर, चन्द्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य, अकबर और अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही भारत लगभग एक राज्य की छत्रछाया में आया । बाकी के हज़ारों सालों में यहां अनेक राज्य रहे । पर तब भी भारत एक राष्ट्र बना रहा । परन्तु राजनीतिक एकता के अभाव के कारण ही हमें थोड़े से विदेशी परास्त कर सके ।

इससे इतना तो मालूम हो जाता है कि राष्ट्र की भावना का निर्माण करने वाली कुछ दूसरी बातें भी हैं ।

इन राज्य, भाषा, धर्म और भौगोलिक विभिन्नताओं को देखकर कुछ लोगों ने यह विचार प्रकट किया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक उप-महाद्वीप है । क्या इस बाहरी भिन्नता के पीछे एकता का अन्य महत्त्वपूर्ण कारण नहीं है जो हज़ारों वर्षों से हमें राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांधे हुए है ।

बाहर से दीखने वाली इस भिन्नता के पीछे पनपती और बढ़ती हुई एकता की परख उन मूल तत्त्वों के आधार पर की जा सकती है जो चिरंतन काल से समूचे राष्ट्र में

अदृश्य रूप से व्याप्त चले आ रहे हैं। ये जीवन के नियम कश्मीर से कन्याकुमारी तक और ब्रह्मपुत्र से द्वारका तक समूची भारतीय जनता द्वारा समान रूप से निभाए जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक इकाइयों, धर्मों, सम्प्रदायों, भाषाओं और भौगोलिक विषमताओं का इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। सार रूप में इन्हें हम भारतीय जनता के आचार और विचार के नाम से पुकार सकते हैं। आचार का सम्बन्ध व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण से है। विचार का सम्बन्ध चिन्तन से है—सोचने-विचारने के तौर-तरीकों से। एक-सा आचार-व्यवहार और विचार अनेकता में एकता के प्रतीक हैं।

समय-समय के अनुसार और जगह-जगह के अनुसार भारतीय जनता के आचार और विचार पर अनेक धर्मों, सम्प्रदायों, मतों और भाषाओं की छाप लगी है। इनमें समय के अनुसार कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन भी हुए हैं। पर फिर भी भारत की आत्मा एक है, उसका इतिहास और परम्परा, आदर्श और प्रेरणा के स्रोत एक हैं।

भारत की आत्मा के प्राण हैं हमारे पुराने धर्म-ग्रन्थ—वेद-शास्त्र, उपनिषद् और स्मृतियां, रामायण और महाभारत। बौद्ध हो या जैन, वैष्णव हो या शैव, आर्य-समाजी हो या ब्रह्मसमाजी, नाथपंथी हो या कबीरपंथी—

सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, अपने मन को वश में रखना आदि नियम सभी मानते हैं। जिनकी आंखें वस्तुओं के बाहरी रूप के पीछे छिपे वास्तविक रूप को देखने की शक्ति रखती हैं, उन्हें समूची भारतीय जनता की आत्मा में एकता के दर्शन साक्षात् हो सकते हैं। यदि कोई सीप के बाहरी खोल को ही देखे और उसके भीतर छिपे मोती को पानी के लिए उसे न फोड़े तो दोष किसका ? सागर की ऊपरी सतह पर तैरती चीज़ों को देखकर यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि गहराई में कोई काम की चीज़ है ही नहीं।

हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि और आधुनिक सन्त-महात्मा, फिर वे चाहे देश के किसी भी कोने के क्यों न हों, सभी ने भारत की एक-आत्मकता के दर्शन किए और उसे एक-से पक्के आधार भी दिए। पूर्व के भगवान् बुद्ध, कबीर और तुलसी; दक्षिण के शंकराचार्य और रामानुज; गुजरात के दयानन्द और गांधी; पंजाब के नानक और स्वामी रामतीर्थ; महाराष्ट्र के समर्थ गुरु रामदास, संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर; बंगाल के स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द, केशवचन्द्र सेन और राजा राममोहन राय—सभी को सारी भारत की जनता समान श्रद्धा और आदर से याद करती है। वे महात्मा समूचे देश की साझी सम्पत्ति

हैं।

कश्मीर के ब्राह्मण की जो दिनचर्या है, वही दक्षिण के ब्राह्मण की है। बिछौने से उठते समय धरती की वन्दना दोनों एक ही मन्त्र से करते हैं। दोनों कहते हैं—"समुद्र ही जिसके कपड़े हैं, पर्वत जिसके स्तन हैं, ऐसी धरती माता! तुझे मैं नमस्कार करता हूं!" पर्वतों की उपमा स्तनों के

साथ बहुत सोच-समझ के साथ ही दी गई है। मां अपनी छाती का दूध पिलाकर बच्चों को पालती है, ऐसे ही ये विशाल पर्वत नदियों के रूप में सारे देश को अमृत जैसा निर्मल जल देते हैं।

लोग स्नान करते समय गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी नदियों का स्मरण करते हैं। ये नदियां क्या किसी एक ही प्रदेश की हैं? ये पवित्र धाराएं हमारे देश की धात्रियां हैं।

प्रातःस्मरण के मन्त्र पढ़ते हुए प्रत्येक भारतीय अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका और द्वारावती का स्मरण करता है। भारत की ये सात महा नगरियां उसे मोक्ष देने वाली हैं।"

ये नदियां, पर्वत और समुद्र महा नगरियां और सन्त-ऋषि-महात्मा सारे भारत की जनता के श्रद्धा-पात्र हैं।

हमारे तीर्थ उत्तर में भी हैं और दक्षिण में भी । राम की जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, भारतीय ज्ञान और दर्शन की भूमि काशी, त्रिवेणी—गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थान—प्रयाग, बद्रीनारायण और केदारनाथ, पवित्र बौद्ध-भूमि गया और जगन्नाथपुरी, गीता की भूमि कुरुक्षेत्र और मोक्ष-भूमि हरिद्वार हमारे उत्तर के तीर्थ हैं । प्रति वर्ष लाखों दक्षिण भारतीय भी इन तीर्थों की यात्रा करके अपने मन और आत्मा को पवित्र करते हैं । ठीक इसी प्रकार दक्षिण के तीर्थों—रामेश्वरम्, श्रीरंगम् और पंचवटी, कांजीवरम् और कन्याकुमारी में उत्तर भारत के लाखों लोग तीर्थ-यात्रा करके अपने को धन्य समझते हैं । हमारे पवित्र चार धाम भी भारत की एकता के चार दृढ़

आधार हैं ।

हमारे धर्म-गुरु मनु के आचार-शास्त्र का सारे भारत में पालन किया जाता है । यह राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है । प्रायः सारी भारतीय जनता में सोलह संस्कारों का विधान एक-सा है । उसके यज्ञ और अनुष्ठान एक ही रूप में होते हैं । आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जबकि आने-जाने के साधनों का सर्वथा अभाव था, तब भी यह एकता सारे देश में मौजूद थी । उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक-जैसी कर्मकाण्ड पद्धति, विधि-विधान सारे देश में लागू था । यह क्या कम महत्त्व की बात है ! ये हमारी राष्ट्रीय एकता के चिरन्तन और मजबूत आधार हैं । ये ऐसे प्रेम-बन्धन हैं, जो ऊपर से दिखाई देने वाली अनेकताओं के होने पर भी कभी ढीले नहीं पड़े ।

गौ, वट वृक्ष और तुलसी को सारे देश में जो एक-सा आदर का स्थान मिला है, वह भी हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रमाण है ।

अंग्रेज़ों के आने से पहले सारे भारत में एक-सा क़ानून लागू होता था । फिर राज्य चाहे बौद्धों का हो, या जैनियों का, शैवों का हो या वैष्णवों का । देश सैकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ था । पर क़ानून तो सब जगह मनु और याज्ञवल्क्य का बनाया हुआ ही लागू होता था । आचार और विचार की

एकता के साथ-साथ कानून की एकता भी राष्ट्रीय एकता की ज़ोरदार पुष्टि करती है।

हमारी राष्ट्रीयता के ये सूत्र हिन्दू धर्म तक ही सीमित हों, यह बात भी नहीं है। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वह हिन्दू संस्कृति ही है। यद्यपि बाद में उस पर अन्य प्रकार के प्रभाव भी पड़े, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत में पनपने वाले दूसरे धर्म और बाहर से आकर बसने वाली दूसरी जातियां इस

राष्ट्रीय एकता की समर्थक न हों। जैसे हिन्दुओं के मन्दिर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे देश में फैले हुए हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म के अनुयायी और प्रचारक सम्राट् अशोक के शिलालेख और स्तम्भ दक्षिण से लेकर उत्तर तक सारे देश में मिलते हैं। शंकराचार्य के चारों मठ भी देश के चारों भागों में फैले हुए हैं। इसी प्रकार जैनों के तीर्थ और मन्दिर भी देश भर में फैले हुए हैं। ईसाइयों के गिरजाघर, मुसलमानों की मस्जिदें और सिख सम्प्रदाय के गुरुद्वारे भी सारे देश में हैं। क्या यह सब इस बात का प्रमाण नहीं है कि भारत की सभी जातियों और धर्मों ने भारत देश को एक इकाई के रूप में माना है!

इस महिमाशाली प्राचीन राष्ट्र की तुलना एक ऐसे पुराने बरगद के वृक्ष से की जा सकती है, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। कुछ शाखाओं से जड़ें फूटकर धरती में गड़ गई हैं और देखने पर ऐसा मालूम होता है कि जैसे यह कोई दूसरा बरगद का वृक्ष है। कभी-कभी दूर से देखने वाले को ऐसा भ्रम होता है कि यह एक वृक्ष नहीं, अनेक वृक्षों का झुण्ड है। पर यह तो देखने वाले का भ्रम है। उसने ऊपरी नज़र से देखकर यह विचार बना लिया है। अगर वह ठीक से पास आकर देखता तो उसे पता चल जाता कि यह तो एक ही वृक्ष है। बहुत लम्बा-

चौड़ा और ऊंचा। शाखाओं से फूटी जड़ें जो कि धरती में गड़कर किसी दूसरे वृक्ष के होने का भ्रम पैदा करती हैं, वे तो इसकी बढ़ती हुई शाखाओं के लिए मज़बूत सहारा हैं।

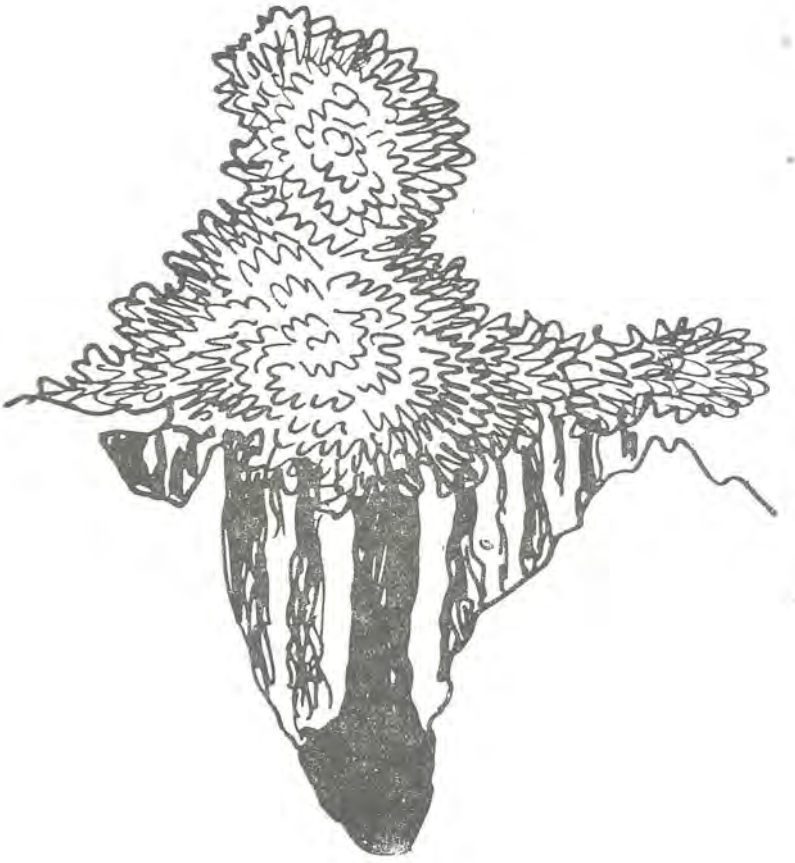

पर इस बरगद का मूल तना तो एक ही है। जो इसमें भेद दिखाई देता है, वह ऊपरी है। यह विशाल, हज़ारों साल पुराना बरगद का पेड़ भिन्न-भिन्न जातियों के पशु-पक्षियों का आश्रयदाता रहा है। इसकी छाया में बहुतों को आराम मिला है। कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं, जिन्होंने इसकी छाया में आराम करके और इसके मीठे फल खाकर भी इसकी टहनियां काट ली हैं। इस वृक्ष पर बसेरा लेने वाले रंग-बिरंगे पक्षी तरह-तरह की बोलियां बोलते हैं, तरह-तरह का दाना-दुनका चुगते हैं, तरह-तरह की उड़ानें भरते हैं, पर इस बरगद से सबको प्यार है। वे इसे अपना मानते हैं।

हिमालय एक है, गंगा एक है, सागर एक है, भारतीय साहित्य का प्रेरणा-स्रोत एक है। हमारा राष्ट्र एक है। हमारा इतिहास एक है। हमारी परम्पराएं एक हैं। हमारा आचार और विचार एक-सा है। क़ानून एक-सा है। हमारा जीवन-प्रवाह एक-सा है। हमारी राष्ट्रभाषा एक है, हमारी नस्ल एक है, हमारे धर्मों के मूल तत्त्व एक हैं। हमारी संस्कृति एक है। सभ्यता एक है। हमारा राजनीतिक लक्ष्य एक है। हमारा आर्थिक ढांचा एक है। हम एक राष्ट्र हैं—आज से नहीं, हजारों साल पहले से।

भारत का नया नक्शा

राज्यों की नयी हदबन्दी

भारत एक बड़ा देश है। उसमें कई प्रदेश हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत का प्रदेशों के रूप में जो बंटवारा हुआ था, उसका कोई ठोस आधार नहीं था। तब का भारत का नक्शा अंग्रेज़ी शासन के फैलाव के साथ-साथ बनता चला गया था।

जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जनता में अपने देश का नये सिरे से निर्माण और विकास करने की भावना ज़ोर पकड़ती गई। हमारे विधान में, जिसके अनुसार शासन चलता है, उसमें राज्यों का बड़ा महत्त्व है। जनता के दिन-प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली अनेक बातें राज्यों के शासन के अधीन आती हैं। इसलिए भी यह ज़रूरी था कि राज्यों की हदबन्दी किसी ठोस आधार पर की जाए ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुख-सुविधा मिल सके।

राज्यों की नयी हदबन्दी करने के बाद जो राज्य बने हैं, उनके बनने से सरकार और जनता में सहयोग और मेल-जोल तो बढ़ा ही है, साथ ही आर्थिक और सामाजिक

हालत भी सुधरी है ।

राज्यों की नयी हदबन्दी का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि अलग-अलग राज्यों की जनता और समूचे राष्ट्र का कल्याण हो । और यह कि हमारे देश भारत की एकता और सुरक्षा को सबसे ऊंची जगह मिले ।

सारे देश के लोग, भले ही वे देश के किसी भी भाग में क्यों न बसे हों, देश-भक्ति की भावना से पूर्ण हैं और उनको भारत की नागरिकता का एक-जैसा अधिकार प्राप्त है । उनकी नागरिकता राज्यों की नागरिकता नहीं है । राज्यों की हदबन्दी में इस बात का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है कि एक भाषा बोलने वाले लोग जहां तक हो सके, एक ही राज्य में रहें ।

राज्यों की नयी हदबन्दी करने का फैसला हमारी संसद का फैसला है । संसद हमारे देश की जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है । राज्यों में मेल-जोल बढ़े और आपसी झगड़े मिलकर तय हों, इसका भी प्रबन्ध कर लिया गया है ।

इस नयी हदबन्दी के कारण राज्यों के क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन हुआ है । पर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सब राज्य भारत गणतन्त्र के ही तो अंग हैं, और अंग रहेंगे । क्योंकि सच्चे अर्थों में हमारी राजनीतिक इकाई

और हमारी राष्ट्रीयता का आधार तो भारत ही है। भारत की उन्नति और एकता—यही तो हमारा लक्ष्य है।

भारत के राज्य और संघीय क्षेत्र

१. आन्ध्र प्रदेश
२. असम
३. बिहार
४. गुजरात
५. महाराष्ट्र
६. कर्नाटक
७. उड़ीसा
८. पंजाब
९. राजस्थान
१०. उत्तर प्रदेश
११. पश्चिम बंगाल
१२. हिमाचल प्रदेश
१३. जम्मू-कश्मीर
१४. केरल
१५. मध्य प्रदेश
१६. तमिलनाडु
१७. नागालैंड
१८. मेघालय
१९. मणिपुर
२०. त्रिपुरा
२१. हरियाणा
२२. सिक्किम

संघीय क्षेत्र

१. अरुणाचल प्रदेश
२. दिल्ली
३. पांडिचेरी
४. चण्डीगढ़
५. गोआ, दमन और दीव
६. लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप समूह

७. अण्डमान व निकोबार द्वीप
८. दादर और नागर हवेली
९. मिजोरम

जिन-जिन प्रदेशों की शासन की ज़िम्मेदारी केन्द्र की सरकार पर है, वे प्रदेश साधारणतया दूसरे प्रदेशों से उन्नति में कुछ पिछड़े हुए हैं। इसलिए उनकी उन्नति की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए वे सीधे केन्द्र के अधीन हैं। केन्द्र के अधीन प्रदेशों में दिल्ली का अपना विशेष महत्त्व है; क्योंकि वह सारे देश की राजधानी है।

हम क्या करें ?

हम जिस घर-परिवार में पैदा होते हैं, उससे हमें प्यार होता है। अपने गांव से प्यार होता है और अपने ज़िले और प्रदेश से प्यार होता है। ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जाते

हैं, हमारे प्यार का यह घेरा बढ़ता जाता है। हममें से बहुतों का कार्यक्षेत्र प्रायः अपने प्रदेश तक सीमित रहता है। अपने इस विशाल देश को देखने का अवसर कुछ लोगों को ही मिलता है। इसलिए भी उनके विचारों की सीमा ज़िले और प्रदेश की हद को लांघकर सारे देश की सीमाओं को नहीं छू पाती। यह भी एक कारण है, जिससे किसी हद तक समूचे देश के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना उतनी नहीं जगती, जितनी जगनी चाहिए। पर शिक्षा का प्रचार दिनोंदिन बढ़ रहा है। साथ ही आने-जाने के साधनों के बढ़ने से भी यह कमी दिनोंदिन दूर होती जा रही है। इसके साथ ही रेडियो, टेलीविजन, समाचार-पत्र भी इस कमी को दूर कर रहे हैं। पहले यह काम हमारे तीर्थ पूरा करते थे। तीर्थों में देश के कोने-कोने से लोग आकर मिलते थे और एक-दूसरे को पहचानते-समझते थे।

हम अपने परिवार, गांव, जिले और प्रदेश को प्यार करें, पर इतना ध्यान अवश्य रखें कि ये सब पूरे राष्ट्र, पूरे देश के अंग मात्र हैं। अंगों की तरफ से हम कतई लापरवाह न हों पर किसी अंग के मोह में पड़कर पूरे शरीर को न भूलें। अगर हमने भूल की तो फिर क्या होगा ?

एक छोटी-सी कहानी सुनिए—

एक बार शरीर के सारे अंगों में झगड़ा हो गया। हाथों ने कहा—कमाते हम हैं और हमारी सारी कमाई यह पेट चट कर जाता है। पैरों ने कहा—हम सुबह से शाम तक दौड़-भाग करते थक जाते हैं पर जो कुछ कमाकर लाते हैं, वह जाता है पेट में। यही बात आंखों, कानों और नाक ने भी की। मतलब यह कि सब एक तरफ हो गए और पेट बेचारा अकेला रह गया। हाथों ने कहा—कल से हम कोई काम नहीं करेंगे। पांव कहने लगे—हम कल से दो कदम भी नहीं चलेंगे। आंखों ने कहा—कल से हम भी नहीं देखेंगी। कानों ने कहा—कल से हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। नाक ने भी सूंघने से इनकार कर दिया। यों समझिए कि पूरी हड़ताल हो गई।

दूसरे दिन पेट में अन्न का एक कौर भी नहीं गया, और न एक घूंट पानी। एक दिन, दो दिन, तीन दिन—यही हाल रहा। चौथे दिन हाथों-पैरों की उंगलियों ऐंठ गईं। आंखों की पुतलियां फिर गईं। कानों में सांय-सांय की आवाज़ होने लगी। मतलब यह कि सभी हड़तालियों का हाल-बेहाल हो गया। पेट पीठ से जा लगा। सारे शरीर में मुर्दनी-सी छा गई। समझौते की बातचीत होने लगी। हड़ताली अपने-अपने काम पर वापस आ गए। पंच ने सबको

समझाया कि यह ठीक है कि कमाते आप सब ही हैं पर जो पेट को देते हैं, पेट उसे अपने पास नहीं रखता। वह फिर उस सबको ताकत के रूप में बदलकर आप सब में बांट देता है। वह आपका ही सेवक है। आपका ही काम करता है।

गणतन्त्र राज्य में प्रदेशों का केन्द्र से वही सम्बन्ध है, जो अंगों का पेट से। केन्द्र का शक्तिशाली होना बहुत ही आवश्यक है।

एक विद्वान ने कहा है—"परिवार की भलाई के लिए किसी एक आदमी को छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ दो, गांव की भलाई के लिए परिवार को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो और अगर ज़िले की भलाई के लिए गांव को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो।" मतलब यह कि बड़े स्वार्थ के लिए छोटे स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। छोड़ना ही पड़ता है। देश की भलाई के लिए हमें भी अपने छोटे-मोटे स्वार्थों—घर, गांव, ज़िले और प्रदेश के स्वार्थ को छोड़ना पड़े तो बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ देना चाहिए। सच तो यह है कि इसी में हमारे घर, गांव, ज़िले और प्रदेश का हित है। देश के मान में ही देशवासियों का सम्मान होता है।

कर्तव्य और अधिकार

देश-प्रेम और देश-भक्ति की एक बड़ी साधारण-सी

कसौटी है। उस पर हम अपने को कसकर देखें कि हम कितने देशभक्त हैं।

देश के हर नागरिक को यह समझना चाहिए कि मैं ही अपना देश हूं। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर छोटी-छोटी बात पर ध्यान देता हूं, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दूं। यह प्रत्येक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है।

और जैसे मैं अपने साधनों से, अपने आदर और सम्मान के कारण जीवन में सहारा पाता हूं, वैसे ही देश के साधनों और सम्मान से भी सहारा पाऊं, यह मेरा अधिकार है।

देश के प्रत्येक नागरिक का अपने देश के साथ अटूट सम्बन्ध होता है। जहां उसे देश की छोटाई और बड़ाई का बुरा-भला फल भोगना पड़ता है, वहां प्रत्येक नागरिक की छोटाई और बड़ाई का फल भी देश को भोगना पड़ता है।

देश-भक्ति की भावना

नस्ल, धर्म, भाषा, राजनैतिक एकता, भौगोलिक समानता और एक संस्कृति—यह सब समान हों तो देश-भक्ति, राष्ट्र-प्रेम में बल आता है। पर सबसे बड़ी बात तो भावना की है। जो कोई भी इस देश को अपना देश मानता है, इस देश के झंडे और विधान को मानता है, वह इस देश का ही

है, और यह देश उसका है।

भावना एक बड़ी महत्त्वपूर्ण चीज़ है। तीन रंगों के तीन कपड़ों को जोड़कर बनाया गया तिरंगा झंडा क्या है? साधारण कपड़ा है। परन्तु वह हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसका सम्मान हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा है और इसका अपमान राष्ट्र का अपमान है। इसकी शान बनाए रखने के लिए आज तक लाखों देशभक्त अपने प्राण दे चुके हैं। यह सब भावना के बलबूते पर ही तो हुआ है।

मेरे सारे देश की संस्कृति एक है, झंडा एक है, विधान एक है, राजनीतिक लक्ष्य एक है, राष्ट्रभाषा एक है, रीति-रिवाज़ एक-से ही हैं, विचारों और संस्कारों में समानता है। इतिहास और परम्परा एक है, साहित्य का स्रोत एक है।

इस महादेश के वासी हम सब एक हैं।

भारत माता की जय!

□□